तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज

कानूनी रूप से आवश्यक है। इसलिये जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पावन्द करने का आदेश फरमावें। तथ्यो, परिस्थितियो एवं मौके पर कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग से सायलान् के पक्ष मे बहुत ही मजबूत प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन वखुबी सावित है। यदि गै0सा0 संख्या 1 राजस्व रेकर्ड मे गलत इन्द्राज के आधार पर उक्त कृषि भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि करे देता है, तो सायलान् को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही हो सकेगी। सायलान् अपने पैतृक पुश्तैनी आराजी के हक हकुको से वंचित हो जायेगे एवं सायलान् के साम्पतिक हक व अधिकारो का हनन होगा तथा विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी जिससे मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स् बढेगी, इस प्रकार वकील मय सायल ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उक्त विवादित भूमि उसके उपयोग/उपभोग में दखलन्दांजी नहीं करने एवं बेचान, रहन अन्य हस्तानान्तरण आदि करने से गै0सा0 को रोका जाकर एवं उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति (STATUS QUO) बनाये रखने हेतु पावन्द किये जाने की ईस्तदुआ की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील सायलान को सुना गया। बहस वकील सायलान ने बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्ब प्रार्थना पत्र आज्ञा पारित किये जाने की ईश्तदुआं की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वकील सायलान पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः आगामी तारीख पेशी तक गै0सा0 को विवादित आराजी की भूमि अन्य किसी को बेचान अन्य हस्तान्तरण नहीं करने हेतु जरिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा गै0सा0 को पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरुद्ध गै0 सा0 इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा–बैडखूर्द पटवार मण्डल बैड़कलां तह. जैतारण में स्थित खाता संख्या 28 खसरा नम्बरान् 14, 22 एवं 23 कुल किता–3 कुल रकवा 18–04 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि का अन्य किसी बेचान अन्य हस्तान्तरण नहीं करने आदि बाबत् गै0सा0 को आगामी तारीख तक रोका जाकर पाबन्द किया जाता हैं। वकील सायलान तलबाना एवं नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर गै0सा0 को नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 20/07/2015 को पेश हो।

1253
5/6/15

उप खण्ड अधिकारी
जैतारण, (पाली)

20/7/15 वकील मय सायल उपस्थित। वकील मय सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकील मय सायलान पेश कर ... सा0नि0 ही गै0सा0 सं0 1 का श्री चुनाराम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत सा0नि0 ही आदि अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया सा0नि0 ही गै0सा0 सं0 2 से 4 की नोटिसेज तामील रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई पत्रावली आयन्दा दिनांक 05-08-2015 को पेश हो।
SDO

05-08-15 पत्रावली पेश हुई। S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य ... पत्रावली आयन्द: दिनांक 01/09/2015 को पेश हो।

01-09-15 पत्रावली पेश हुई। S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य ... पत्रावली आयन्द: दिनांक 08/10/2015 को पेश हो।

29-09-15 वकील मय सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आज पेश हुये वकील अप सायलान ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त मामला प्रार्थना मुकदमें के प्रकार गांव के मौजिज व्यक्तियों की समझाईश से सायल एवं गैरसा० ने आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया, है। वादी वाद को अब आगे चलाना नहीं चाहते हैं जरिये विड्रोवल खारिज किये जाने हेतु किया है। वाद खारिज हो चुका है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र को जरिये विड्रोवल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से मुक्त हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर [illegible] जमा हो। [illegible]	[illegible] (श्रीमाराम) आ० ने अर्ज करा